ग्राम पंचायत बरथाटा, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2013 से 03/2016

1 **(क) प्रस्तावना:-** ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या: PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669, दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. , को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत बरथाटा, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई , जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री अमोलक राम	23.1.2011 से 22.1.2016
2	श्रीमति लता कलांटा	23.1.2016 से लगातार

सचिव:-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री प्रकाश चन्द	1.4.2013 से 14.6.2013
2	श्री नन्द लाल	15.6.2013 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत बरथाटा के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम स0	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	9	पंचायत राजस्व की वसूली शेष	0.12
2	10	अनुदान का उपयोग न करना	12.81
3	11	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना	5.59

4	12	निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना स्टॉक स्टोर का क्रय करना	3.95
5	13	निर्माण सामग्री से Voids की कटौती न करना	0.18
6	14	रसीद बुकें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	3.41
7	15	राशि का अनियमित भुगतान	0.55

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत बरथाटा, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री मनजीत भाटिया , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 28.10.2016 से 29.10.2016 व 7.11.2016 से 9.11.2016 तक ग्राम पंचायत बरथाटा के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 7/2013, 2/2015, 11/2015 व 8/2013, 3/2015 , 7/2015 का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया हैं।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत बरथाटा, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5,000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 04 , दिनांक 9.11.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत बरथाटा से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत बरथाटा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व स्त्रोत व विविध अनुदान :- ग्राम पंचायत बरथाटा के अवधि 04/2013 से 03/2016 की स्व स्त्रोत व विविध अनुदानों (मनरेगा योजना व 14वें वित्त आयोग के अनुदान को छोड़कर) की वित्तीय स्थिति का **"परिशिष्ट-क"** अनुसार विवरण नीचे दिया गया है। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों (मनरेगा योजना व 14वें वित्त आयोग के प्राप्त अनुदानों के अतिरिक्त) की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित करके बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय की खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके अभाव में स्व स्त्रोत एवं विविध अनुदानों की आय/व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: रोकड़ बही अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तशेष
2013-14	1066336.79	1636288	2702625.79	1640376	1062248.79
2014-15	1062248.79	1569805	2632054.79	1308515	1323538.79
2015-16	1323538.79	1556365	2879904.79	1744732	1135171.79

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं। अतः रोकड़ बही में दर्शाई गयी हस्तगत राशि के अतिरिक्त बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance)** लिया गया है।

(ख) अनुदान :- ग्राम पंचायत बरथाटा की अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों (मनरेगा योजना व 14वें वित्त आयोग के अनुदान) की वित्तीय स्थिति का **"परिशिष्ट-क"** अनुसार विवरण निम्न प्रकार से है:-

मनरेगा:-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2013-14	36378	494709	531087	529402	1685
2014-15	1685	231447	233132	231304	1828
2015-16	1828	110096	111924	111924	0

14वां वित्त आयोग अनुदान:-

वर्ष	**अथशेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तशेष**
2013-14	0	0	0	0	0

2014-15	0	0	0	0	0
2015-16	0	145639	145639	0	145639

नोट:- रोकड़ बही में मासांत/वर्षान्त प्रारम्भिक व अन्तिमशेष नहीं दर्शाये गए हैं। अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 1.4.2013 के प्रारम्भिक शेष को ही वित्तीय स्थिति का दिनांक 1.4.2013 का प्रारम्भिक शेष (**Opening Balance)** लिया गया है।

5 (क) बैंक समाधान विवरणी:-

ग्राम पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(2) की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की जा रही है जिसके कारण दिनांक 31.3.2016 को रोकड़ बही और बैंक खातों के अन्तशेष में निम्न विवरणानुसार ₹18,287/- का अन्तर पाया गया। अंकेक्षण अधियाचना संख्या 03 , दिनांक 7.11.2016 की अनुपालना में **'परिशिष्ट-ग"** पर प्रस्तुत बैंक समाधान विवरणी में उक्त अन्तर का समाधान कर दिया गया था। इस सन्दर्भ में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया गया कि मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अन्तर पाया गया। अत: नियमानुसार बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए:-

क्रम सं०	विवरण		राशि
1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		1280810.79
	(i) स्व-स्त्रोत व विविध अनुदान- **पैरा-4(क)**	1135171.79	
	(ii) मनरेगा- **पैरा-4(ख)**	0	
	(iii)14वां वित्त आयोग- **पैरा-4(ख)**	145639	
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ख)**		1299097.79
3	अन्तर		18287.00

(ख) अन्तर का कारण:-

1	रोकड़ बही पर आधारित वित्तीय स्थिति अनुसार शेष:-		1280810.79
	(-) सामान्य निधि की रोकड़ बही अनुसार हस्तगत राशि	-63	18287.00
	(+) सामान्य निधि से चैक संख्या 760558 , दिनांक 25.2.2016 जारी किया गया परन्तु दिनांक 31.3.2016 तक बैंक से नहीं भुनाया गया, जबकि दिनांक 4.4.2016 को बैंक से	18350	

	भुनाया गया।		
2	बैंक खातों के अनुसार शेष **(परिशिष्ट-ख)**		1299097.79

6 निवेश:- सचिव ग्राम पंचायत बरथाटा द्वारा उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार पंचायत निधि से कोई भी राशि सावधि जमा में निवेश नहीं थी।

7 रोकड़ बही व बैंक खातों का नियमानुसार रख-रखाव न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट लेखे , संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत में एक रोकड़ बही के निर्माण का प्रावधान है तथा नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय और अनुदानों की प्राप्ति हेतु बैंक में दो खाते (खाता- 'क" व खाता-'ख") खोले जाने का प्रावधान है। खाता-'क" में पंचायत के स्व-संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता- 'ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाये जाने का प्रावधान है। परन्तु अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख अनुसार ग्राम पंचायत बरथाटा में तीन रोकड़ बहियों (सामान्य , मनरेगा व 14वां वित्त आयोग) का निर्माण किया गया है तथा 6 विभिन्न बैंक खाते खोले गए हैं। अतः नियमों के विपरीत रोकड़ बहियों के निर्माण व बैंक खाते खोले जाने बारे उचित स्पष्टीकरण दिया जाये। भविष्य में नियमानुसार ही रोकड़ बही व बैंक खातों का रख- रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये व अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये।

8 (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए।

(ख) निर्माण कार्यों के प्राक्कलन/अभिलेख इत्यादि का सही प्रकार से रख-रखाव न करना-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में पंचायत द्वारा विभिन्न निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु अपेक्षित प्राक्कलन , आरेखण , प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी मंजूरी, मापन पुस्तिका , कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र , उपयोगिता प्रमाण पत्र इत्यादि से संबन्धित अभिलेख का सही प्रकार/व्यवस्थित ढंग से रख-रखाव नहीं किया गया था। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि ₹1.50 लाख से ऊपर के निर्माण कार्यों का तकनीकी अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में है। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया गया कि ₹1.50 लाख से नीचे के समस्त निर्माण कार्यों का Work-wise तकनीकी अभिलेख तैयार नहीं किया गया है , निर्माण कार्य प्राक्कलन/आरेखण तैयार किए बिना ही निष्पादित किए जा रहे हैं तथा केवल मापन पुस्तिका (अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी) में ही कार्यों का मूल्यांकन किया गया है। परिणामस्वरूप व्यय हेतु चयनित मासों में उक्त तकनीकी अभिलेख के आभाव में लाखों रूपये के निर्माण कार्यों की अंकेक्षण में उचित जांच न हो सकी। अतः तकनीकी अभिलेख का अधूरा रख-रखाव करने व अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे तथ्यों सहित पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये व उक्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये। साथ ही सुझाव दिया जाता है कि पंचायत के समस्त अभिलेख का रख-रखाव व्यवस्थित/क्रमबद्ध तरीके से किया जाये ताकि पंचायत द्वारा निष्पादित करवाये जा रहे लाखों रुपए के निर्माण कार्यों की उचित जांच सुनिश्चित हो सके व किसी भी प्रकार की वित्तीय चूक की सम्भावना न रहे।

9 पंचायत राजस्व ₹0.12 लाख की वसूली शेष:-

पंचायत द्वारा स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय से संबन्धित **"परिशिष्ट-'घ"** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक ₹11,530/- की राजस्व वसूली शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने का कारण स्पष्ट किया जाये व इसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

10 अनुदान ₹12.81 लाख का उपयोग न करना:-

पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-'क"** पर उपलब्ध करवाई गई वित्तीय स्थिति/सूचना अनुसार दिनांक 31.3.2016 को अनुदानों की कुल ₹12,80,810.79 की राशि उपयोग हेतु शेष थी। सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों से संबन्धित आय-व्यय के सम्बन्ध में खाता बहियों (Ledger Accounts) का निर्माण नहीं किया गया है जिसके कारण स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के आय-व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: सुझाव दिया जाता हैं कि पंचायत निधि खाता- 'क" व खाता- 'ख" के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन करके खाता बहियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त दिनांक 31.3.2016 को स्व-स्त्रोत व विविध अनुदानों के संकलित अन्तिम शेष में से विविध अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया जाए तथा समस्त अनुदानों (विविध व मनरेगा) की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यर्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

11 ₹5.59 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की स्टॉक प्रविष्टियां न करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(ए० से डी०) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय की गयी वस्तुओं का स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25 , 26, 27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि स्थायी व अस्थाई भण्डार रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया है। एक सामग्री स्टॉक रजिस्टर (जैसे सीमेंट, रेत, बजरी, स्टील इत्यादि) रखा था परन्तु इसका भी पूर्ण रख-रखाव नहीं किया गया था । उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि समय-2 पर मदवार कितना स्टोर/स्टॉक क्रय किया , कितना जारी किया तथा किसी विशेष तिथि को कितनी मात्रा शेष थी , जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 तक लाखो रूपये के स्थायी व अस्थाई

स्टोर/स्टॉक का क्रय किया गया था। व्यय के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में अभिलेख की जाँच में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा ₹5,58,575/- की विभिन्न मदों , जिनका विवरण **परिशिष्ट-'ङ"** में दिया गया है , का क्रय किया था परन्तु इन्हें भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था। नियमों के विपरीत उक्त अभिलेख का निर्माण न करना अनियमित ही नहीं अपितु गम्भीर आपत्तिजनक भी है जिससे पंचायत निधियों के दुरुपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः अंकेक्षणाधीन अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय किये गये समस्त स्टोर/स्टॉक प्रविष्टि को भण्डार रजिस्टर में दर्ज किया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि उक्त अभिलेख के अभाव में निधियों का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है। अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये।

12 निविदाओं की औपचारिकता पूर्ण किए बिना ₹3.95 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना:-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचरिकतायें पूर्ण करना अपेक्षित है। चयनित मासों में व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **परिशिष्ट-'च"** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹3,94,836/- के स्टोर/स्टॉक का क्रय निविदाओं इत्यादि की औपचारिकता पूर्ण किए बिना किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है तथा साथ ही पंचायत को बाज़ार की प्रतिस्पर्धी दरों के लाभ से वंचित होना पड़ा। अत: स्टोर/स्टॉक का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

13 निर्माण सामग्री से ₹0.18 लाख के Voids की कटौती न करना:-

अभिलेख की जांच में पाया गया कि चयनित मासों में ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी उस पर नियमानुसार voids की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट-'छ" पर** उपलब्ध करवाई गयी सूचना के अनुसार निर्माण सामग्री से voids की कटौती न करने के कारण आपूर्तिकर्ता को ₹18,296/- का अधिक भुगतान किया गया। अतः किए गए अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

14 ₹3.41 लाख की रसीद बुकें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि चयनित माह 7/20113 से संबन्धित ₹3,41,000/- की निम्न रसीद बुकें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गयी जिनके आभाव में इन रसीदों से वास्तविक प्राप्त राशि की पुष्टि न हो सकी। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये व अपेक्षित रसीदें आगामी कार्यवाही हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जायें:-

क्रम सं०	रोकड़ बही पृष्ठ	रसीद संख्या	दिनांक	राशि जिससे प्राप्त हुई	राशि (₹)
1	59	144197	9.7.13	खण्ड विकास अधिकारी, जुब्बल	1,47,000
2	59	144198	9.7.13	-यथोपरि-	38,000
3	60	144200	25.7.13	-यथोपरि-	1,56,000
				कुल	**3,41,000**

15 ₹0.55 लाख का अनियमित भुगतान:-

चयनित माह 3/2015 में पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ बही पृष्ठ-17 पर वाउचर संख्या 83, दिनांक 25.3.2015 द्वारा ₹54,972/- का भुगतान चैक संख्या 8143635, दिनांक 25.3.2015 से किया गया। यह भुगतान मै० के०एस०ओ० गुड्स कैरियर, जुब्बल को "निर्माण खाता सामुदायिक भवन , देवनगर" हेतु 4581 ईंटों की ₹12 प्रति ईंट की दर से खरीद पर किया गया। परन्तु उक्त आपूर्तिकर्ता को अभिलेख में संलग्न उसकी जी०आर० (Goods Receipt) संख्या: 1395, दिनांक 3.1.2015 जिसमें वाहन संख्या: एच०पी०-52बी०-2051 अंकित था , के आधार पर ही भुगतान कर दिया गया जबकि वास्तविक बिल अभिलेख में संलग्न नहीं था जिसकी पुष्टि सचिव ग्राम पंचायत द्वारा की गयी। अतः उपरोक्त आपूर्तिकर्ता से ईंटों की खरीद का मूल/वास्तविक बिल प्राप्त किये बिना ₹54,972/- का भुगतान करना अनियमित ही नहीं अपितु आपत्तिजनक भी है। अतः इस अनियमितता बारे तथ्यों सहित स्थिति स्पष्ट की जाये व उक्त राशि का मूल बिल प्राप्त करके अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाये।

16 ₹0.45 लाख के मानदेय/वेतन का ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को भुगतान बारे:-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा चयनित मासों में ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड सदस्यों, चौकीदार, जल-रक्षक, सिलाई अध्यापिका इत्यादि को निम्न विवरणानुसार ₹44,550/- का मानदेय/वेतन का भुगतान किया गया, परन्तु मानदेय /वेतन की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था, जिस कारण मानदेय/वेतन के भुगतान की सही दरों की पुष्टि नहीं हो सकी। अतः मानदेय/वेतन के भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत कार्यालय में प्राप्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

क्रम	चयनित माह	विवरण	मानदेय/वेतन की अवधि	सामान्य रोकड़ बही पृष्ठ	राशि (₹)
1	8/2013	वेतन श्री प्रवीण कुमार, जल-रक्षक	अंकित नहीं	61	4050
2	3/2015	मानदेय पंचगण	1.2.15 से 31.3.15	16	10200
3	3/2015	वेतन चौकीदार श्री विरेन्द्र सिंह	1.2.15 से 31.3.15	16	3700
4	3/2015	भत्ता चौकीदार श्री विरेन्द्र सिंह	1.2.15 से 31.3.15	16	300
5	3/2015	वेतन सिलाई अध्यापिका श्रीमति उषा देवी	1.1.15 से 31.3.15	16	9600
6	7/2015	मानदेय पंचगण	1.4.15 से 30.6.15	26	14700
7	7/2015	वेतन चौकीदार श्री विरेन्द्र सिंह	1.6.15 से 30.6.15	26	1850
8	7/2015	भत्ता चौकीदार श्री विरेन्द्र सिंह	1.6.15 से 30.6.15	26	150
				योग	**44550**

17 ₹0.66 लाख की आबंटित राशि के स्वीकृत पत्र/उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना:-

अंकेक्षण के दौरान चयनित मासों में पाया गया कि निम्न लाभार्थियों को सामान्य निधि से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु ₹66,000/- की राशि जारी की गयी। परन्तु इस राशि के व्यय से संबन्धित बिल/वाउचर , संबन्धित सक्षम अधिकारी का "स्वीकृती पत्र" व कार्य निष्पादन उपरान्त अपेक्षित "उपयोगिता प्रमाण पत्र" अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे व्यय की अंकेक्षण में पूर्ण जांच न हो सकी। अतः इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण दिया जाये व अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये:-

क्रम सं०	चयनित मास	लाभार्थी का नाम व पता	योजना का नाम	रोकड़ बही पृष्ठ	दिनांक	राशि (₹)
1	8/2013	श्री बलवान सिंह पुत्र श्री श्यामा नन्द, निवासी सोजला	इन्दिरा आवास योजना	61	26.8.13	37500
2	8/2013	श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री कर्म दास, निवासी सूंटा	इन्दिरा आवास योजना	61	26.8.13	8500
3	3/2015	श्री विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री चम्पा लाल, निवासी बरथाटा	अटल आवास योजना	17	25.3.15	20000
					योग	**66000**

18 ₹0.16 लाख के व्यय की मूल निविदायें अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना:-

चयनित माह 7/2015 में पाया गया कि सामान्य निधि की रोकड़ बही पृष्ठ-27 पर वाउचर संख्या 50 , दिनांक 7.7.2015 द्वारा फ़ैन्सी फर्नीचर उधोग , जुब्बल को उनके बिल संख्या 48 दिनांक 7.7.2015 द्वारा पाँच सीटों वाले एक सोफा सेट की खरीद हेतु ₹15,000 व किराया ₹1,000 (कुल ₹16,000) का भुगतान किया गया जिसकी निम्न विवरणानुसार निविदा दरें सबसे निम्न पाई गयी। परन्तु अभिलेख में निविदाओं की फोटो प्रतियाँ ही संलग्न थीं जबकि मूल/वास्तविक निविदाओं के बारे में

सचिव, ग्राम पंचायत अनभिज्ञ थे। अतः इस सम्बन्ध में तथ्यों सहित पूर्ण स्थिति स्पष्ट की जाये व मूल/वास्तविक निविदाओं को आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाये:-

क्रम	निविदाकर्ता	निविदा दिनांक	दर (₹)	टिप्पणी
1	संजय इंजीन्यरिंग वर्क्स, जुब्बल	29.1.2015	16000	निविदा अस्वीकृत
2	देस राज इंजीन्यरिंग वर्क्स, जुब्बल	29.1.2015	15500	निविदा अस्वीकृत
3	फ़ैन्सी फर्नीचर उधोग, जुब्बल	29.1.2015	15000	निविदा स्वीकृत

19 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्धारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

क्र स	रजिस्टर/ अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	मासिक बैंक समाधान विवरणी		7(2)
2	निवेश रजिस्टर	1	12 (1)
3	खाता बहियाँ (Ledger Accounts)	7	29(1)
4	क्लासिफाइड अब्सट्रेक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
5	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
6	विविध माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	बजट प्राक्कलन	11	37
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए० एवं बी०
11	लेखन सामग्री रजिस्टर	28	72(1)(डी०)
12	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

13	निर्माण कार्यों का रजिस्टर (केवल सामान्य निधि से संबन्धित रजिस्टर था जिसका पूर्ण रख-रखाव नहीं नहीं किया गया था)		103

20 विविध:-

(क) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(2) व 17 के अनुसार ₹1,000/- से ऊपर का भुगतान चैक द्वारा किया जाना अपेक्षित है , परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा बीच-2 में इस प्रकार का भुगतान नकद रूप में किया गया था। भुगतान की रसीद/पावतियाँ भी प्राप्त नहीं की गई थीं जिससे पंचायत निधि के दुरूपयोग की सम्भावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अतः पाई गई अनियमितता बारे औचित्य स्पष्ट किया जाये व अंकेक्षणाधीन अवधि में इस प्रकार के नकद भुगतानों की रसीद/पावती आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त करके अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दिखाई जाये। भविष्य में उक्त नियम की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

(ख) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार पंचायत द्वारा स्वीकृत व्यय से संबन्धित प्रस्ताव संख्या व दिनांक प्रत्येक बिल/वाउचर पर अंकित किया जाना अपेक्षित है ताकि कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना न हो। परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में उपरोक्त निर्देशों की पूर्ण अवहेलना हुई है जो कि अनियमित है। अतः पाई गई अनियमितता बारे स्पष्टीकरण दिया जाये तथा सुनिश्चित किया जाये कि अंकेक्षणाधीन अवधि में कोई भी व्यय पंचायत की स्वीकृति के बिना नहीं किया गया है। अनुपालना से अंकेक्षण को तदानुसार अवगत करवाया जाये। भविष्य में उपरोक्त नियम का कड़ाई से पालन किया जाये।

(ग) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त , बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों के निष्पादन हेतु प्रतिभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव , ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत: 93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

21 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई हैं लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया ।

22 निष्कर्ष :- लेखों के रख-रखाव एवं सुधार की अधिक आवश्यकता है।

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 47/2016–खण्ड–1–1160–1163 दिनाँकः21.02.2017
शिमला–171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत बरथाटा, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड जुब्बल कोटखाई, तहसील जुब्बल कोटखाई, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,

स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.